



बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय, नगर पंचायत, नालन्दा
अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-06/2025-26
ई०-टेंडरिंग द्वारा (<https://eproc2.bihar.gov.in>)

- ई-निविदा आमंत्रण सूचना ई०-टेंडरिंग द्वारा (<https://eproc2.bihar.gov.in>)
- विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता :- नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, नालन्दा
 - निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि :- 19.03.2026
 - निविदा अपलोड करने की प्रारंभ तिथि/समय :- 06.04.2026 से 10:30 बजे से
 - पि-बिड मीटिंग का समय स्थान/तिथि :- समय 11:30 बजे स्थान-कार्यालय नगर पंचायत, नालन्दा। दिनांक-07.04.2026
(<https://eproc2.bihar.gov.in>)
 - संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने अंतिम तिथि :- दिनांक-24.04.2026 के 15:00 बजे तक।
 - तकनीकी बीड/वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक- 28.04.2026 के 15:30 बजे के बाद।
(<https://eproc2.bihar.gov.in>)
 - अग्रघन सभी मूल शपथ पत्र (मूल में) एवं existing Commitment (मूल में) एवं विकास एवं परिमाण विपत्र के मूल्य का बैंक गारंटी जमा करने की अंतिम तिथि/समय :- दिनांक-27.04.2026 के 15:00 बजे अपराह्न तक
स्थान :- 1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नालन्दा
(<https://eproc2.bihar.gov.in>)

क्र० सं०	वार्ड सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु०) में	अग्रघन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	Bid Processing Fee (Through online (payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
01	13	चातर में हर घर नल-जल योजना के तहत नया पाइप लाइन बिछाने एवं हर घर नया कनेक्शन एवं बोरिंग सहित पानी टंकी निर्माण।	2809600.00	56,500	5000	As per Eproc 2.0	04 माह
02	02	महुडीनगर में हर घर नल-जल योजना के तहत नया पाइप लाइन बिछाने एवं हर घर नया कनेक्शन एवं बोरिंग सहित पानी टंकी निर्माण।	2469900.00	49500	5000	As per Eproc 2.0	04 माह
03	11	मुजफ्फरपुर में हर घर नल-जल योजना के तहत नया पाइप लाइन बिछाने एवं हर घर नया कनेक्शन एवं बोरिंग सहित पानी टंकी निर्माण।	2665400.00	53500	5000	As per Eproc 2.0	04 माह
04	16	पन्हेस्सा में अनिल मिस्त्री के घर से होते हुए महेन्द्र चौधरी के घर से होते हुए रघु चौधरी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाली सहित ढक्कण निर्माण कार्य।	2439800.00	49000	5000	As per Eproc 2.0	04 माह

Bidders should submit Bid processing fee and tender processing fee through online payment as per amount generated on (<https://eproc2.bihar.gov.in>)

8. निविदा की वैधता अवधि-120 दिन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, नालन्दा

9. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" & Tender Processing fee" निम्न विधि से जमा करना होगा :-

- (i) "Bid Processing Fee" & Tender Processing in mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (credit/debit card), Net banking Online challan NEFT/RTGS.
- (ii) "Bid along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal <https://epro2.bihar.gov.in> before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for.
- (iii) the delay/Non submission of Tender/Non Reconciliation of online payment caused due to Non-availability of Internet connection, Network Traffic/Holiday or any other reason."

10. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबंधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के हैं, निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेपटेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन का निर्माण कार्य होगा, तो भवन निर्माण कार्य का निबंधन भी मान्य होगा।

11. दो करोड़ से उपर की राशि की निविदा SBD (Standard Bid Documents) के माध्यम से की जायेगी।

12. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट <https://eproc2.bihar.gov.in> अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता है।

13. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई-टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Singnature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें <https://eproc2.bihar.gov.in> से डाउनलोड करने/ई-टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्पडेस्क निःशुल्क दूरभाष संख्या 18005726571 (08:00 AM to 07:00 PM) E-Mail ID -eproc2support@bihar.gov.in से संपर्क किया जा सकता है।

14. संवेदक को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति में, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है।

15. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। यदि वे जानबुझकर निविदा डालते हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

(2.) निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद किसी संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि :-

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किये गये हैं।

(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात् उन्होंने आवंटित कार्य को अधुरा छोड़ दिया हो, निविदा के शर्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी। क्योंकि उनके द्वारा सपर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

BM, SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant, Vibrator Roller, Static Roller, Paver Finisher, Feloader, tipper आवश्यकता है। जो, स्वयं अथवा किराये पर हो सकता है, परन्तु तत्संबंधी प्रमाण का एवं आवश्यक शपथ-पत्र कंडिका (ग) के अनुरूप देना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त कंडिका क, ख, ग एवं घ में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके उपर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। चूंकि संवेदकों को बिहार PWD, CODE के बिहार टिकेदारी निबन्धन नियमावली-2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। यदि यह शर्तें संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डाले।

(छ) अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहाँ से/ किस वर्ष (डिग्री/ डिप्लोमा) पास किये हैं तथा अब तक अनियोजित है से संबंधित शपथ-पत्र संलग्न करना होगा। निविदा/कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के साथ की जायेगी।

अनियोजित अभियंता के मामले में आवंटित कार्य के विरुद्ध अग्रधन 2% राशि मात्र 1 प्रतिशत ली जायेगी, जिससे बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा। जमानत की शेष 9 प्रतिशत राशि उनके चालू विपत्र से कटौती की जायेगी।

(ज) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात <https://epro2.bihar.gov.in> पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरी होना चाहिए।

18. प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्द में अंकित दरों विसंगति होने पर शब्द में अंकित दर की मन्यता दी जायेगी।

(ख) असाधारण असंतुलित दर (Serious unbalanced Rate) 10% कम दर उद्धृत करने पर अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार। पटना के पत्रांक-3376 (E) दिनांक- 17.08.2010 के अनुसार एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance गारंटी (Additional performance guarantee) देना होगा।

19. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

20. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

21. निविदा निष्पादन

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या 18 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

22. एकरारनामा

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 07 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

23. अन्य शर्तें

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त परिमाण विपत्र की राशि 50 लाख से अधिक की स्थिति में निविदादाताओं का निम्नांकित शर्तों का भी अनुपालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

(3.) पार्टनर शीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

16. परिमाण विपत्र का मूल्य

(1.) उपर्युक्त निविदा में परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक के Online mode i.e Internet Payment gateway (Credit/debit Card), Net banking, Online challan, NEFT/RTGS Payment mode जो पोर्टल के द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

17. अग्रधन (1)

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 500 एवं 1000 के गुणक में होगी। जो बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा।

(ख) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है, उसी के अनुरूप अग्रधन देय होगी।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।

(क) वैध निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं अर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति।

(घ) G.S.T निबंधन प्रमाण-पत्र।

(3) संवेदक के अधीन-लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि का Existing commitment कार्यों की राशि सहित सूची अपलोड करना है।)

(4) घोषणा प्रमाण-पत्र (मूल में)/शपथ पत्र मूल में (अपलोड) में अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि-मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचारधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी कार्य को विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र कागजात विवरणी जाली एवं गलती नहीं है।

(ड.) संवेदक के पास (i) मिक्सर मशीन, (ii) नोजल भाईव्रेटर, (iii) शटरिंग प्लेट, (iv) वाटर टैंकर (v) ऐंटी रिवर्स रूट्रेटी मशीन

(vi) गुण-नियंत्रण उपकरण तथा भवन निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु उपरोक्त क्रमांक (i) से

(v) के साथ-साथ एलीभेटर एवं स्टेजिंग पार्सिप का भी होना आवश्यकता है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेन देन का मूल शपथ पत्र (अपलोड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र-संयंत्र एवं गुण-नियंत्रण उपकरणों की स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।

(च) बिटुमिन्स पथ के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 60/70, 30/40, 80/100 Grade packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अंदर कैंशमेमों संबंधित सहायक अभियंता के समकक्ष प्रस्तुत करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही साथ 24 घंटों के अन्दर बिटुमिन की क्वालिटी का जाँच कराना होगा।




24. 50 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपन्न होने पर निविदाताओं को एक वितीय बीड तथा एक तकनीकी बीड निविदा के साथ अपलोड करना होगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का ही वितीय बीड खोला जाएगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होंगे उनका वितीय बीड नहीं खोला जाएगा।
25. 50 लाख के अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों में (निविदा तिथि के पूर्ववर्ती माह तक) किसी एक वर्ष निविदा मूल्य के समतुल्य भुगतान प्रमाण-पत्र होना चाहिए अथवा निविदा मूल्य के एक तिहाई मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण-पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, ST, Royalty, Net Payment, Gross Payment होगा।
26. 50 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु स्थलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का मूल में शपथ पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र-संयंत्र का स्वामित्व संबंधी कागजात भी संलग्न करना होगा। गुण नियंत्रण उपकरण का भौतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता डूडा, नालन्दा के द्वारा किया जाएगा। तथा इसका प्रतिवेदन तकनीकी बीड के साथ समर्पित करना होगा।
27. 50 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम से कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियंता होना चाहिए। तत्संबंधी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ-पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। डिग्री-डिप्लोमा अभियंता भिन्न-भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक डिग्री-डिप्लोमा अभियंता भिन्न-भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजन के शपथ-पत्र देंगे तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।
28. (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
(ख) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।
(ग) राशि उपलब्ध के होने के उपरान्त भुगतान किया जाएगा।
29. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी। तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।
30. E-tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
31. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नालन्दा से संपर्क कर सकते हैं।
32. In the unlikely event of the server for <https://eproc2.bihar.gov.in> being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.
33. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability & visibility of the scanned & uploaded file by them
34. The bidders must use MS Office-2023 version. File size should be less than 20MB and should be in M.S Word, MS Excel, PDF and JPEG Formats.



35. No claim shall be entertained on account of disruption of Internet Service being used by bidders; Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last loccr's technical snags.
36. In exceptional circumstances, the competent authority, UD&HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
37. Bid that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
38. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc, in the online standard formats given for respective tenders in e-procurement website eproc2.bihar.gov.in, at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents, certificate, uploaded by him, owning responsibility for their correctness/authenticity.
39. Corrigendum/Addendum, if any, will be published on the website itself.
40. अनियोजित अभियंता के लिए कर्णांकित कार्य हेतु:-
 (a) पथ निर्माण विभाग के प्र०-6/नियम-03-03/2001-1399 (s) दिनांक-31.01.2008 द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन करना हो
 (b) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।
 (c) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा अबतक अनियोजित है।
41. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-449 (s), दिनांक- 16.01.2020 एवं पत्रांक-448 (s) दिनांक- 16.01.2020 में वर्णित शर्तें लागू होगी।
42. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने की स्थिति में ही किये गये कार्य का भुगतान किया जायेगा।
43. प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना का पत्रांक-06, न०वि०ले० (विविध)-13/2025-1134/न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक-04.02.2026 से निर्गत निदेश का अनुपालन इस निविदा में किया जाएगा।
44. संबंधित मद में विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

ह०/-
 कार्यपालक पदाधिकारी,
 नगर पंचायत, नालन्दा (नालन्दा)

- ज्ञापांक- 433 न० पं० नालन्दा, दिनांक- 20/03/2026
- प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, बुडको, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पटना, बिहार, को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास एवं विभाग बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


 20/03/2026
 कार्यपालक पदाधिकारी,
 नगर पंचायत, नालन्दा (नालन्दा)